



साक्षर भारत

कार्यालय
जिला साक्षरता समिति पलामू
शान्तिपुरी, पुलिस लाइन के निकट, मेदिनीनगर, पलामू



साक्षर भारत

अल्पकालिन निविदा

साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत पलामू जिले में लोक शिक्षा केन्द्र में पठन-पाठन सामग्री क्रय के लिए निबंधित प्रतिष्ठान आपूर्तिकर्ता से मुहर बंद लिफाफे में दिनांक 18.10.16 को अपराह्न 03:00 बजे तक जिला साक्षरता समिति पलामू के कार्यालय में निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 18.10.16 समय 4:00 बजे निविदा समिति के समक्ष निविदा खोली जाएगी जिसमें निविदा दाता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

निम्नलिखित सामग्रियों के आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. सं.	सामग्री का नाम	अनुमानित संख्या	अनुमानित दर का 2 प्रतिशत अग्रधन
1.	अभ्यास पुस्तिका (57 GSM, 96 Page Cover 250 GSM Printed, size- 20 cm/15 cm)	289 X 750	22,000
2.	रबर (Natraj, Camel)	289X 750	5,000
3.	काष्ट पेंसिल (Natraj, Camel)	289X 750	9,000
4.	कटर (Natraj, Camel)	289X 750	13,000
5.	उपस्थिति पंजी (12 पेज, 4 पेज कुट का कवर) 20 cm / 30 cm	305X 1	10,000
6.	बैठक रजिस्टर (110 पेज, 4 पेज कुट का कवर) 25 cm / 32 cm	305X 1	
7.	स्टॉक रजिस्टर (12 पेज, 4 पेज कुट का कवर) 25 cm / 32 cm	305X 1	
8.	प्रवेश एवं प्रगति पंजी (24 पेज 4 पेज कवर) 25 cm / 32 cm	25,000 (वीटी के लिए)	

निविदा का विस्तृत ब्यौरा एवं शर्तें तथा सामग्री की सूची NIC पलामू के वेबसाईट www.palamu.nic.in पर देखी जा सकती है।

सचिव
जिला साक्षरता समिति
पलामू

ह.
उपायुक्त सह अध्यक्ष
जिला साक्षरता समिति
पलामू

निविदा की शर्तें :-

1. निविदा दाता अग्रधन की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला साक्षरता समिति पलामू के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा।
2. अधिकृत विक्रेता अथवा पंजीकृत आपूर्तिकर्ता ही सक्षम निविदा दाता के रूप में मान्य होंगे।
3. निविदा दाता आईटमवार दर अंकित करेंगे।
4. तकनिकी एवं वित्तीय विवरणी अलग-अलग लिफाफा के उपर तकनिकी विड तथा वित्तीय विड लिखा जाएगा। तत्पश्चात दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में डाल कर भेजना होगा एवं लिफाफे पर फार्म का नाम पता स्पष्ट रहना चाहिए।
5. निविदा दाता को आयकर विक्री कर के अध्यतन प्रमाण पत्र 31.03.2016 की अभिप्रमाणित छाया प्रति निविदा विपत्र के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. पठन-पठान सामग्री की दर में सभी प्रकार के कर यथा जे.एस.टी, सी.एस.टी वैट एवं परिवहन व्यय आदि सम्मिलित कर के ही न्यूनतम मूल्य अंकित करना होगा अलग से कोई भी टैक्स का भुगतान साक्षरता समिति द्वारा नहीं किया जायेगा।
7. सामग्री की आपूर्ति कार्यादेश में वर्णित तिथि के अंदर बिना अग्रिम भुगतान के करना अनिवार्य होगा।
8. निविदा के साथ सामग्री का नमूना जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
9. निविदा को पूर्णतः या अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत रद्द करने अथवा सामग्रीवार कार्यादेश को निविदा दाताओं के बीच विभाजित करने का पूर्ण अधिकार उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला साक्षरता समिति पलामू को होगा।
- 10) आवश्यकतानुसार सामग्री क्रय हेतु कार्यादेश निर्गत किया जायगा।
- 12) उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति पलामू जिला अन्तर्गत लोक शिक्षा केन्द्र (जिला साक्षरता समिति पलामू के निर्देशानुसार) पहुंचा कर करनी होगी। इसके लिए अलग से कोई परिवहन व्यय देय नहीं होगा।


सचिव
जिला साक्षरता समिति
पलामू

उपायुक्त सह अध्यक्ष
जिला साक्षरता समिति
पलामू

ज्ञापांक... 62/2016-17

दिनांक 26.9.2016

प्रतिलिपि- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सचिव 26.9.16.
जिला साक्षरता समिति
पलामू